सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 208 / प्रा0पत्र / 2021 दायरा दिनांक :–30.12.2021

GCMS ID–2021 / 152

उनवान

1. रामदेव आ0 छीतर जाति कीर निवासी धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. कालूलाल आ0 रामा जाति माली निवासी धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. भूरीबाई पुत्री रामा जाति माली निवासी धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत

वकील प्रार्थी :– श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थीगण :– श्री महेश नामा

आदेश दिनांक : 19.05.2025

प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि भूमि कृषि भूमि खसरा संख्या 2713 / 2309 रकबा 1.6187 वाके ग्राम धोवडा पटवार मण्डल धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। भूमि खसरा संख्या 2719 / 2309 रकबा 1.2950 हैक्टेयर वाके ग्राम धोवडा में स्थित है। अप्रार्थीगण 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि का पूर्व खातेदार कैलाशपति पिता घनश्यामदास पौद्दार निवासी बंबई नरीमन रोड था, जिसके द्वारा भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित किया गया जिसमें भूमि का रास्ता अंकित किया हुआ है और तत्समय से मौके पर रास्ता बदस्तुर चालू है जो बून्दी से धोवडा जाने वाली पक्की सडक के पूर्व साईड पर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2719 / 2309 की उत्तरी सीमा पर प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु 15 फिट चौडा रास्ता बना हुआ है और उक्त रास्ते की सीमा को छोड कर अप्रार्थीगण ने अपनी भूमि के अलग से बाड कर रखी है। मौके पर बने हुये उक्त रास्ते के प्रवेश द्वार पर लकडी की फाटक लगी हुई है। इस प्रकार खसरा संख्या 2719 / 2309 की उत्तरी साइड पर बने हुए रास्ते का प्रार्थी निरंतर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है लेकिन उक्त रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। मौके पर विद्यमान रास्ते को प्रार्थी ने नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' के रूप में दर्शाया है जो प्रार्थना पत्र का भाग है। नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में अंकित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता घोषित किया जाकर रास्ते की तरमीम करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। मौके पर विद्यमान रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

sdmhindoli@gmail.com Phone no-7436276446

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

होने से पडौसी खातेदार आये दिन रास्ते की भूमि को काट–काट कर अपने खेतो में मिलाते है व रास्ते को संकडा करते है जिससे आये दिन विवाद की स्थिति पैदा होती है व पडौसी खातेदार रास्ते में व्यवधान पैदा करने की धमकिया देने से प्रार्थी को उक्त रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में अंकित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर रास्ते की तरमीम किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थी ने प्रशासन गांव के संग केम्प धोवडा में दिनांक 01.11.2021 का तहसीलदार हिण्डोली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की भूमि आने जाने हेतु खसरा संख्या 2719/2309 की उत्तरी साइड पर बने 15 फिट चौडे रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करने का अनुरोध किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय के आदेश के बिना रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने से इंकार कर दिया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि बून्दी में धोवडा जाने वाली सडक के पूर्वी साइड पर स्थित भूमि खसरा संख्या 2719/2309 की उत्तरी सीमा पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2713/2309 तक आने जाने हेतु 15 फिट चौडे रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवावे एवं रास्ते की नक्शे में तरमीम करवावे। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम धोवडा होने से श्रीमान को श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना उचित फीस पर पेश है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बून्दी में धोवडा जाने वाली सडक के पूर्वी साइड पर स्थित भूमि खसरा संख्या 2719/2309 की उत्तरी सीमा पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2713/2309 तक आने जाने हेतु 15 फिट चौडे रास्ते की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किया जावे एवं घोषित रास्ते की नक्शे में लालस्याही से पुख्ता तरमीम करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से जवाब पेश कर ख0सं0 2719/2309 की उत्तरी सीमा पर बने हुये 10 फुट चौडे रास्ते की घोषणा की जाकर रास्ते में आने वाली भूमी की दोगुनी प्रतिकर राशी हमे दिलाकर रास्ते की घोषणा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना दर्ज किया। अप्रार्थी सं0 3 सरकार की ओर से नायब तहसीलदार दबलाना की ओर से पत्रांक :–राजस्व/25/329 दिनांक :–24.03.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 290 जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम धोवडा पटवार मण्डल धोवडा में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 2713/2309 जो कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 की खातेदारी भूमि है, में से होते हुए 15 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थी इस बाबत निर्धारित प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे नायब तहसीलदांर दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नायब

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 2719/2309 में से 12 फिट चौडा रास्ता उत्तरी सीमा पर प्रस्तावित किया गया है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 290 के खसरा संख्या 2713/2309 वाके ग्राम धोवडा पटवार मण्डल धोवडा में आने–जाने हेतु नायब तहसीलदार दबलाना से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम धोवडा के खसरा 2719/2309 में से कुल 12 फीट चौडे व 72 फुट लम्बे रास्ते में कुल 0. 03238 हैक्टेयर भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी राशि 1420000/रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 0.03238 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 45980/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 91960/रू– का भुगतान प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को भुगतान करने उपरान्त/डी0डी0 न्यायालय में पेश करने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :— 19.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

19/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446